

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 01 अ-82/17-18/2806

बैतूल दिनांक $\frac{16}{20}$ 03-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	जूनावानी	7.791	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)	जूनावानी लघु (स्टोरेज) जलाशय योजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

स० क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	सुन्दो बेवा मिलापसिंग, राजू, किशोरी, अशोक, चन्द्रकिशोर व० मिलापसिंग जाति गोंड सा० देह	64/1	0.815	0.251
		60	0.117	0.016
2	श्री दिनेश व० सरबसिंग जाति गायकी सा० देह	64/2	0.102	0.102
		64/5	0.306	0.306
3	रमेश व० सरबसिंग जाति गायकी सा देह	64/3	0.102	0.102
4	तिलक व० सरबसिंग जाति गायकी सा देह	64/4	0.306	0.306
5	गजानंद व० सीताराम जाति माली निवासी माण्डी सा० देह	65	0.259	0.259
		91	0.324	0.324
6	सोमती जौजे सुकू जाति किराड निवासी माण्डवी	90/1	0.320	0.320
7	भददूलाल व तिलक जाति किराड निवासी माण्डवी	90/2	0.247	0.247
8	मल्लू, टिल्लू व० अन्छराम, सा देह	200	6.200	0.705
9	गुरुदेव, बलदेव, सदाराम, दीनदयाल, व० अमरचंद, रामरती, सुशीला पिता अमरचंद जाति किराड निवासी माण्डवी	205	0.457	0.457
		87	0.781	0.781

10	सरला जौजे संतोष जाति धोबी सा0देह	88	0.615	0.615
11	बुद्ध पुत्र गंगू जाति गोंड सा0देह	72/3	2.023	1.003
12	संतोष, गुणवन्ता, व0 श्यामा , शांता पिता श्यामा जाति धोबी सा देह	67	2.173	1.997
योग			15.147	7.791

1- चूंकि जूनावानी लघू(स्टोरेज) जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

तथा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

आदेशानुसार,


(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ०क० ०१ अ-८२/वर्ष १७-१८ / २८०६
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक ^{१६}_{२०}-३-२०१८

- १- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म०प्र० भोपाल की ओर म०प्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- २- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- ३- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- ४- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- ५- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन १५ दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- ६- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन १५ दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- ७- तहसीलदार आठनेर की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चरपा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन १५ दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- ८- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- ९- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बोरपानी तहसील आठनेर जिला बैतूल (म०प्र०) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।


कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग